रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी, 1, 1971/पौष 11, 1892

No. 2] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 1, 1971/PAUSA 11, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 1st January 1971

G.S.R. 41.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 2-Customs, dated the 1st January, 1970, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts each of the articles, specified in column (2) of the Table hereto annexed and falling under Item or Items of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), specified in column (3) of the said Table when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said Schedule as is in excess of,—

(a) the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table where the standard rate of duty is leviable, and

(b) the rate specified in the corresponding entry in column (5) of the said Table ,where the preferential rate of duty is leviable

TABLE

Sl. No.	Name of article	Item No. in the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934	Standard rate of duty	Preferential rate of duty
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Drugs and medicines containing spirit.	22(5)(b)(i) and 22(5)(b)(ii)	Rs. 13·68 per litre or 32 per cent *ad valorem* whichever is higher plus Rs. 5·00 per litre.	
2.	Tobacco, unmanufactured	24(3)	Rs. 30/- per Kilogram.	Rs. 30/- per Kilogram.
3.	Alumina for the manufacture of Aluminium	28	15 per cent *ad valorem*	13 per cent *ad valorem*
4.	Chloroquine . .	28	50 per cent *ad valorem*	48 per cent *ad valorem*
5.	(a) Vitamin A . .	28(28)(b)	30 per cent *ad valorem*	29 per cent *ad valorem*
	(b) Vitamins B-12, C, D-3, D-2 and K, and preparations thereof.	28(28)(b)	50 per cent *ad valorem*	49 per cent *ad valorem*
	(c) Vitamins and vitamin preparations other than those specified under (a) and (b) above, excluding fish liver oil free from other therapeutic ingredients.	28(28)(b)	20 per cent *ad valorem*	19 per cent *ad valorem*
6.	Wireless transmission apparatus.	73(13)	30 per cent *ad valorem*	28 per cent *ad valorem*

[No. 7/F. No. 11/15/70-Cus. I]

J. DATTA, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 1 जनवरी 1971

सा० का० नि० 41.—सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 2 सीमाशुल्क, तारीख 1 जनवरी, 1971 को अधिक्रांत

करते हुए, केन्द्रीय सरकार, वह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है एतद्द्वारा इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट और भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची की ऐसी मद या मदों के जो उक्त सारणी के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट हैं है, अन्तर्गत आनेवाली प्रत्येक वस्तु को, जब उसका भारत में आयात होता है, उस पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से, जो उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, छूट देती है जो—

(क) जहां शुल्क की मानक दर उद्ग्रहणीय है, वहां उक्त सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर, और

(ख) जहां शुल्क की अधिमान दर उद्ग्रहणीय है, वहां उक्त सारणी के स्तंभ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर—

से अधिक्य में हो ।

सारणी

क्रम सं०	वस्तु का नाम	भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 की प्रथम अनुसूची में मद सं०	शुल्क की मानक दर	शुल्क की अधिमान दर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	औषधें और औषधियां जिनमें स्पिरिट है ।	22(5)(ख)(i) और 22(5)(ख)(ii)	13.68 रु० प्रतिलिटर या 52 प्रतिशत मूल्यानुसार जो भी इनमें अधिक हो धन 5.00 रु० प्रति लिटिर ।	
2.	अविनिर्मित तम्बाकू	24(3)	30/- रु० प्रति किलोग्राम	30/- रु० प्रति किलोग्राम
3.	एलुमिनियम के विनिर्माण के लिए एलुमिना	28	15 प्रतिशत मल्यानुसार	13 प्रतिशत मूल्यानुसार ।
4.	क्लोरोक्विन	28	50 प्रतिशत मूल्यानुसार	48 प्रतिशत मल्यानुसार ।
5.	(क) विटामिन ए	28(28)(ख)	30 प्रतिशत मूल्यानुसार	29 प्रतिशत मूल्यानुसार ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(ख) विटामिन बी-12, सी, डी-3, डी-2 और के और उसकी विनिर्मितियां	28(28)(ख)	50 प्रतिशत मूल्यानुसार	49 प्रतिशत मूल्यानुसार।
	(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट से भिन्न विटामिन और विटामिन विनिर्मितियां, अन्य थ्योरोपेटिक अंशों से मुक्त फिश लिवर आयल को अपवर्जित करके	28(28)(ख)	20 प्रतिशत मूल्यानुसार	19 प्रतिशत मूल्यानुसार।
6.	बेतार प्रेषण उपकरण	73(13)	30 प्रतिशत मूल्यानुसार	28 प्रतिशत मूल्यानुसार

[सं० 7/एफ० सं० 11/15/70-सीमा शुल्क]

ज्योतिर्मय दत्त, उप सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971